

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड कं.-1, तेलीबांधा, रायपुर-492006(छत्तीसगढ़)

दूरभाष : (0771) 4224600, 611, 622 फ़ैक्स : (0771) 4066425, कॉल सेन्टर 1-800-102-6415 (टोल फ्री) ई-मेल : visitscg@gmail.com वेब-साइट www.tourism.cg.gov.in

क्रमांक / III / चालन / पर्य.मं. / 2017

रायपुर, दिनांक / / 2017

// आदेश //

ग्रीष्मकालिन अवकाश में पर्यटन प्रोत्साहन को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों/आगन्तुकों को आकर्षित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित समस्त इकाईयों में दिनांक 01.05.2017 से 30.06.2017 तक कक्षाओं के आरक्षण पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदाय किये जाने हेतु पूर्व में आदेश क्रमांक 428 दिनांक 29.04.2017 जारी किया गया था।

पर्यटन प्रोत्साहन को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों/आगन्तुकों को आकर्षित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित समस्त इकाईयों में दिनांक 01.05.2017 से 30.06.2017 तक कक्षाओं के आरक्षण पर 50 प्रतिशत की छूट में एक माह की वृद्धि करते हुए दिनांक 31.07.2017 तक पूर्व निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर कक्षाओं के आरक्षण पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जाती है।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।

महाप्रबंधक


छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

रायपुर, दिनांक 15/06/2017

क्रमांक 1109 / III / चालन / पर्य.मं. / 2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, पर्यटन, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. उपमहाप्रबंधक (वित्त), छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त शाखा प्रमुख छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त प्रभारी होटल/मोटल/पर्यटन सूचना केन्द्रों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. प्रभारी काल सेन्टर, होटल जोहार छत्तीसगढ़ परिसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. श्री सौमिक डे सरकार, प्रमुख, पर्यटन प्रोत्साहन योजना शाखा/श्री अनुपम यादव, कियेटिव डिजाइनर, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मंडल की अधिकारिक वेब-साईट में उक्त के संबंध में जानकारी दिये जाने एवं ऑन-लाईन आरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।
11. श्रीमति सुभदा चतुर्वेदी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार रियायत से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु देश-प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रेस- विज्ञप्ती के माध्यम से जानकारी दिये जाने हेतु अविलंब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।



महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

DM